उत्तर प्रदेश शासन

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग

संख्या-24/2016/सी0एम0-32/चालीस-2016-27(1)/16

लखनऊ, दिनांकः 30 अगस्त, 2016

<u>विज्ञप्ति</u>

तात्कालिक प्रभाव से श्री राज्यपाल चौ0 असद अली (मुखिया) पुत्र चौ0 औलाद अली (मुखिया) निवासी- वार्ड नं0-41, अपर कोट, लोनी, जिला-गाजियाबाद को एक वर्ष के लिये राष्ट्रीय एकीकरण विभाग का सलाहकार नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अशोक कुमार

सचिव।

<u>संख्या-24/2016/सी0एम0-32/चालीस-2016-27(1)/16,तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

2- प्रमुख सचिव/सचिव, गृह/ सचिवालय प्रशासन/वित्त/राज्य सम्पत्ति विभाग/गोपन, उत्तर प्रदेश शासन।

3- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

5- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

6- चौ0 असद अली (मुखिया) पुत्र चौ0 औलाद अली (मुखिया) निवासी- वार्ड नं0-41, अपर कोट, लोनी, जिला-गाजियाबाद।

7- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

8- मा0 मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के निजी सचिवों को मा0 मुख्य मंत्री जी/मा0 मंत्री-गण के सूचनार्थ।

9- प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन/अनुभाग अधिकारी, शिक्षा (लेखा प्रकोष्ठ)।

10- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

11- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस विज्ञप्ति को उत्तर प्रदेश गजट के आगामी अंक में कृपया प्रकाशित करने का कष्ट करें।

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भावना श्रीवास्तव)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in